फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/45) **श्री नन्दलाल डांगी बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री एस.पी.व्यास - वकील प्रत्यर्थी-1 से 6 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-7 **अनवान** 1. श्री नन्दलाल पिता श्री लक्ष्मण डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री मांगीलाल पिता श्री धन्ना डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्री दिनेश डांगी पिता श्री भगवती लाल डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 4. **अपीलार्थी** 1. श्री भंवरलाल पिता श्री हीरालाल डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री शंकरलाल पिता श्री नारायणलाल डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्री मांगीलाल डांगी पिता श्री शंकरलाल डांगी (भुणा), निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 4. श्री जगदीश पिता श्री रामनाथ डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 5. श्री मांगीलाल डांगी पिता श्री शंकरलाल डांगी (वातडा), निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 6. श्री शोभालाल पिता श्री जयकिशन डांगी, निवासी बोहेडा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी, बप्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 15.02.2022 (अनवान श्री भंवरसिंह बनाम तहसीलदार बड़ीसादड़ी)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 27.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी, बप्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 15.02.2022 (अनवान श्री भंवरसिंह बनाम तहसीलदार बड़ीसादड़ी) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर कथन किया कि मौजा बोहेडा में किशना पिता श्री नाथु पटेल डांगी के कब्जेयाबी व खातेदारी की आराजी नम्बर 1946 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर उक्त आराजी वर्तमान में सेटलमेंट से नम्बर परिवर्तित होकर उसके नये नम्बर 2980 रकबा 0.3600 हैक्टेयर दर्ज होकर समस्त गवाई पो भराई के नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा वह (वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3) उक्त किशना पिता नाथु के पौत्र होकर विधिक वारिसान है। उक्त भूमि श्री किशना द्वारा डांगी समाज को भेट की गई और उसको गवाई पौ भराई के नाम पर कर दी गई। उसके उपरान्त डांगी समाज के लोग उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा सेटलमेंट के बाद समस्त गवाई पौ भराई के साथ खाते में सार्वजनिक स्थान गलत तरिके से जोड़ दिया गया उसके हटाये जाने का आदेश दिया जाना उचित है, जिससे इन्द्राज दुरस्ती की जावें। • उपखण्ड अधिकारी, बड़ी सादड़ी द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 15.02.2022 पारित कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 15.02.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा प्रस्तुत आधी-अधुरी जांच करके उक्त	

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/45) **श्री नन्दलाल डांगी बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक ही नहीं नहीं हुई थी, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 11.05.1965 से प्रकरण संख्या 83/1964 के आधार पर किशना डांगी की खातेदारी निरस्त करके सार्वजनिक प्याउ स्थान देह दर्ज करने का आदेश पारित किया गया और उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 799 दिनांक 22. 06.1966 को पारित किया गया, जिससे उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक प्याउ दर्ज चली आ रही है, इन तथ्यों को छिपाते हुए तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी-1 से 6 ने गावं के कुछ स्वार्थी लोगों के प्रभाव में आकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त भूमि किसी तरह से डांगी समाज के नाम आ जावें। उक्त भूमि पर डांगी समाज द्वारा नोहरा बना दिया गया। उक्त भूमि के संबंध में डांगी समाज के पटेल बोहेडा व किशना के मध्य वाद चला और उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहा चली और आदेश दिनांक 11.05.1965 से प्रकरण संख्या 83/1964 के आधार पर किशना डांगी की खातेदारी निरस्त करके सार्वजनिक प्याउ स्थान देह दर्ज करने का आदेश पारित किया गया और तदनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण में दुरस्ती धारा-136 के स्कोप से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह उक्त आदेश से प्रभावित व्यक्ति होकर हितबद्ध पक्षकार थे, ऐसे में इस न्यायालय में अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया। इसी प्रकार अपीलार्थीगण के परोक्ष अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से उसे निर्णय की ससमय जानकारी न हो सकी और जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-1 से 6 की ओर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के कथनों के खण्डन में अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिससे उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है, जिस हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक दिन के कारण स्पष्ट नहीं किये गये है। अपीलार्थीगण श्री किशना के ही वारिसान है, जिससे उन्हे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी न हो यह संभव नहीं है, जिससे प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। मौजा बोहेडा में किशना पिता श्री नाथु पटेल डांगी के कब्जेयाबी व खातेदारी की आराजी नम्बर 1946 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर उक्त आराजी वर्तमान में सेटलमेंट से नम्बर परिवर्तित होकर उसके नये नम्बर 2980 रकबा 0. 3600 हैक्टेयर दर्ज होकर समस्त गवाई पो भराई के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि श्री किशना द्वारा डांगी समाज को भेट की गई और उसको गवाई पौ भराई के नाम पर कर दी गई। उसके उपरान्त डांगी समाज के लोग उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा सेटलमेंट के बाद समस्त गवाई पौ भराई के साथ खाते में सार्वजनिक स्थान गलत तरिके से जोड़ दिया गया उसके हटाये जाने का आदेश दिया जाना उचित होने से इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर वांछित इन्द्राज दुरस्ती का अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नाकिंत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. आरआरटी 2016-17 (सप) पेज 158
2. आरआरटी 2021(2) पेज 1443
3. आरआरटी 2022(1) पेज 165
4. आरआरटी 2018-18 (सप) पेज 207

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी मूल पुरूष श्री किशना के वारिसान होने का कथन प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/45) **श्री नन्दलाल डांगी बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर भी विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकतरफा पारित किया जाना बताया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। इसके अतिरिक्त इस निर्णय में आगे के पेरा में किये गये विवेचनानुसार त्रुटिपूर्ण निर्णय को कभी चैलेंज किया जा सकता है, उस पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होते और उसे गौण किया जाना उचित है। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 में प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि विवादित भूमि श्री किशना द्वारा डांगी समाज को भेट की गई और उसको गवाई पौ भराई के नाम पर कर दी गई। उसके उपरान्त डांगी समाज के लोग उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा सेटलमेंट के बाद समस्त गवाई पौ भराई के साथ खाते में सार्वजनिक स्थान गलत तरीके से जोड़ दिया गया, जिसकी इन्द्राज दुरस्ती की जावें। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या-799 दिनांक 22.06.1966 की प्रति उपलब्ध है, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 11.05.1965 से प्रकरण संख्या 83/1964 के आधार पर किशना डांगी की खातेदारी निरस्त करके सार्वजनिक प्याउ स्थान देह दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण एक सक्षम आदेश से स्वीकृत किया गया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज की सत्यता पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, जब तक कि उसके खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो। इस प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 799 में किये अंकन के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त नामान्तरकरण में अंकित इन्द्राजात, जो सक्षम आदेश के आधार पर किये गये, को धारा-136 के तहत दुरस्त करने का आदेश पारित किया जो चलने योग्य नहीं है क्यों कि यह धारा-136 के दायरे से बाहर है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

"136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/45) **श्री नन्दलाल डांगी बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दोरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण ऐसी त्रुटि से संबंधित नहीं है, जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही केवल समरी कार्यवाही है इसमें केवल तकनीकी भूल व दोनों पक्षकारों की सहमति से ही नक्शे या रेकर्ड में सुधार किया जा सकता है। जहां किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता हो या दोनों पक्षों में विवाद हो वहां इन्द्राज दुरूस्ती या नक्शे में दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा-136 के प्रावधान लागु नहीं होते है। धारा-136 के प्रार्थना पत्र में केवल मात्र स्वीकृत त्रुटि की शुद्धि की जा सकती है, न की सक्षम आदेशों से स्वीकृत नामान्तरकरण में अंकित इन्द्राजाता को बदले, इसके लिए अलग से अपीलीय प्रावधान है। उपरोक्त विवेचनानुसार उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-136 की समुचित जांच न करा, उपरोक्त विधिक स्थिति का परिक्षण न कर, अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आदेश प्रसारित करने का निर्णय पारित किया, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं समझता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण से सुंसगत नहीं होने से चस्पा नहीं होते है। परिणामतः **अपील अपीलार्थी स्वीकार** की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2022 अपास्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया, I.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	